

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :220 /2024

प्रार्थी:-

लालसिंह पुत्र धुंकसिंह जाति राजपुरोहित निवासी मायलावास तहसील  
सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थी:-

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरुस्ती  
उपस्थित :-

श्री किशोरीलाल सोनी अधिवक्ता प्रार्थी

-:: आदेश ::-

दिनांक :- 24.07.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र रा.भू.अ.की धारा 136 के तहत पेश किया है संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 222 व 604/223 कुल रकबा 37.6601 हैक्टेयर भूमि ग्राम मवड़ी तहसील सिवाना में तथा खसरा संख्या 1819/563, 559, 564, 566, 508, 532, 575, 576, 1214, 218, 543, 1806/417, 313, 293, 562, 1195, 1196, 1197 व 209 कुल रकबा 20.6149 हैक्टेयर भूमि ग्राम महिलावास तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काशत करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड व बैंक पासबुक आदि में उसका वास्तविक नाम "लालसिंह पुत्र धुंकसिंह" दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम "लालाराम पुत्र धुंकाराम" लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रही है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरुस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भू.अ./2025/1319 दिनांक 09.07.2025 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने आधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड, पैनकार्ड व जन आधारकार्ड की छाया प्रति आदि प्रस्तुत किया।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी के समस्त राजकीय दस्तावेज यथा आधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड, पैनकार्ड व जन आधारकार्ड में प्रार्थी का वास्तविक नाम "लालसिंह पुत्र धुंकसिंह" है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा खसरा संख्या 222 व 604/223 कुल रकबा 37.6601 हैक्टेयर भूमि ग्राम मवड़ी तहसील



उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)

सिवाना में तथा खसरा संख्या 1819/563, 559, 564, 566, 508, 532, 575, 576, 1214, 218, 543, 1806/417, 313, 293, 562, 1195, 1196, 1197 व 209 कुल रकबा 20.6149 हैक्टेयर भूमि ग्राम महिलावास तहसील सिवाना में प्रार्थी का नाम "लालाराम पुत्र धुंकाराम" लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड, पेनकार्ड व जन आधारकार्ड आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम "लालसिंह पुत्र धुंकराम" दर्ज है, किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम "लालाराम पुत्र धुंकाराम" दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम "लालसिंह पुत्र धुंकराम" होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संख्या 222 व 604/223 कुल रकबा 37.6601 हैक्टेयर भूमि ग्राम मवड़ी तहसील सिवाना में तथा खसरा संख्या 1819/563, 559, 564, 566, 508, 532, 575, 576, 1214, 218, 543, 1806/417, 313, 293, 562, 1195, 1196, 1197 व 209 कुल रकबा 20.6149 हैक्टेयर भूमि ग्राम महिलावास तहसील सिवाना के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थी का नाम "लालाराम पुत्र धुंकाराम" के स्थान पर "लालसिंह पुत्र धुंकराम" दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 24.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)  
उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)